कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–4/रजीगृ/जीव विज्ञान/स्थानान्तरण/2019–20 दिनांक–29.09.2019 के तहत् वंदना व्यास, व्याख्याता, जीव विज्ञान, राउमावि, झंवर, जोधपुर का स्थानांतरण राउमावि सादड़ी, लोहावट, जोधपुर किया गया । श्रीमती वंदना व्यास ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या 15112/2019 वंदना व्यास बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 15112/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.19 द्वारा याचिकार्थिया श्रीमती वंदना व्यास को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थिया श्रीमती वंदना व्यास द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के हृदय रोग से पीड़ित होने, स्वयं के ससुर के कोमा में होने एवं स्थानान्तरित स्थान निवास स्थान से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के आधार पर अपना पदस्थापन जोधपुर शहर के नजदीक किसी विद्यालय की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थिया से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया हैं। याचिकार्थिया का प्रकरण इनमें से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थिया द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.10.2019 में याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का एक सकारण आख्यात्मक आदेश द्वारा निस्तारण किए

जाने के आदेश प्राप्त थे। चूंकि श्रीमती वंदना व्यास का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारो पर खारिज किया जा चुका है, अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि सादड़ी, लोहावट, जोधपुर में व्याख्याता के पद पर दिनांक 05.11.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरूद्व राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–1/अभ्यावेदन/वंदना व्यास/को.के/19–20 दिनांकः– 01/11/2019

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

11. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
12. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
13. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
14. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमती वंदना व्यास
15. के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिती में उनके विरूद्व सीसीए–17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जाँच अनुभाग–प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
16. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
17. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
18. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
19. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि, झंवर, जोधपुर का स्थानांतरण राउमावि सादड़ी, लोहावट, जोधपुर ।
20. कार्मिक वंदना व्यास, व्या0 जीव विज्ञान राउमावि, झंवर, जोधपुर।
21. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

148# 002 order_aug19 c-1(4) ddn

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–4/रजीगृ/रसायन विज्ञान/स्थानान्तरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत याचिकार्थिया सुश्री किरण शुक्ला व्याख्याता, रसायन विज्ञान फोर्ट रासमावि, बीकानेर का स्थानांतरण रासमावि पूगल,बीकानेर किया गया। सुश्री किरण शुक्ला द्वारा इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या 15006/2019 किरण शुक्ला बनाम राज्य सरकार दायर की गई।

याचिका संख्या 15006/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.19 द्वारा याचिकार्थिया सुश्री किरण शुक्ला को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए। याचिकार्थीया के अभ्यावेदन निस्तारण तक माननीय न्यायालय द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.092019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थीया के संबंध में स्थगित रखा गया।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थिया सुश्री किरण शुक्ला द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के गंभीर एवं असाध्य रोग (दोनों किडनी के एड्रिनल ग्लैंड एवं ब्रेन में पिट्यूटरी ग्रंथी के ट्यूमर की मेजर सर्जरी) से ग्रसित होने तथा स्वयं के एकल एवं अविवाहित महिला होने के आधार पर अपना पदस्थापन फोर्ट रासमावि, बीकानेर में यथावत रखने की परिवेदना प्रस्तुत की गई। याचिकार्थिया से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है।

उक्तानुसार याचिकार्थिया सुश्री किरण शुक्ला व्याख्याता, रसायन विज्ञान के स्थान पर अन्य व्यक्ति का पदस्थापन हो जाने एवं उनके द्वारा कार्यग्रहण कर लेने के कारण पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में इनका समायोजन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) बीकानेर में व्याख्याता समकक्ष के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन/परिवेदना का निस्तारण किया जाता है। सुश्री शुक्ला को निर्देशित किया जाता है कि ये तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने समायोजित स्थान पर व्याख्याता समकक्ष के रिक्त पद पर दिनांक 5/11/.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–1/अभ्यावेदन/किरण शुक्ला /को.के/18–19

दिनांकः–01/11/2019

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, बीकानेर।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. प्रधानाचार्य फोर्ट राउमावि, बीकानेर/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बीकानेर।
9. किरण शुक्ला, व्याख्याता, रसायन विज्ञान फोर्ट राउमावि, बीकानेर।
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

150# 002 order_ aug19 c-1(4) cbl

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–4/रजीगृ/जीव विज्ञान/स्थानान्तरण/2019–20 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव, व्याख्याता, जीव विज्ञान, GOVT. SR. SEC. SCHOOL LUNI, JODHPUR का स्थानांतरण Govt.Sr.Sec.School Padasala, BAPINI,LOHAWAT, JODHPUR किया गया । श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या 15683/2019 श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 15683/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.19 द्वारा याचिकार्थी श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णित प्रकरण याचिका संख्या 15035/2019 विमला सोनी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.10.2019 के परिप्रेक्ष्य में अभ्यावेदन प्राप्त होने पर निस्तारण के आदेश प्रदान किए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी उमेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के HEART DISEASE CORONARY ARTERY, TRIPLE VESSEL DISEASE से पीड़ित होने के आधार पर राउमावि, लूनी, जोधपुर या जोधपुर शहर के नजदीक किसी विद्यालय की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णित प्रकरण याचिका संख्या 15035/2019 विमला सोनी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा परित निर्णय दिनांक 17.10.2019 के दिशा निर्देशों/परिपत्रों एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। जहां तक विमला सोनी के प्रकरण का प्रश्न है तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि श्रीमती सोनी को गृह जिले से बाहर अन्य जिले में पदस्थापित किया गया था और उनके द्वारा गृह जिले में कहीं पर भी पदस्थापित किए जाने हेतु निवेदन किया गया था, जिसे विभाग द्वारा स्वीकार कर गृह जिले में पदस्थापित कर अनुतोष प्रदान किया गया था। याचिकार्थी पहले से ही अपने गृह जिले में ही पदस्थापित है इसलिए और समीपस्थ/वांछित स्थान पर पदस्थापित किए जाने की उनकी मांग उचित नहीं है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती।

याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.10.2019 में विभाग को याचिकार्थियों द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन के निस्तारण हेतु आदेश प्रदान थे। चूंकि श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जा चुका है अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने स्थानान्तरित स्थान Govt.Sr.Sec.School Padasala, BAPINI,LOHAWAT, JODHPUR में व्याख्याता के पद पर दिनांक 05.11.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–1/अभ्यावेदन/उमेशचन्द्र श्रीवास्तव/को.के/19–20 दिनांकः– 01/11/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध सीसीए–17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जाँच अनुभाग–प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य GOVT. SR. SEC. SCHOOL LUNI, JODHPUR / Govt.Sr.Sec.School Padasala, BAPINI,LOHAWAT, JODHPUR
9. कार्मिक उमेश चन्द्र श्रीवास्तव व्याख्याता, जीव विज्ञान, GOVT. SR. SEC. SCHOOL LUNI, JODHPUR
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–4/रजीगृ/रसायन विज्ञान/स्थानान्तरण/2019–20 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्री राकेश कुमार सोखल, व्याख्याता, रसायन विज्ञान, राउमावि, श्रीकरणपुर, गंगानगर का स्थानांतरण राउमावि बस्सी, बस्सी खास, डूंगरपुर किया गया । श्री राकेश कुमार सोखल ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या 15235/2019 श्री राकेश कुमार सोखल बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 15235/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.19 द्वारा याचिकार्थी श्री राकेश कुमार सोखल को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी राकेश कुमार सोखल द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं की माता के मानसिक रूप से पागल तथा स्थानान्तरित स्थान निवास स्थान से 900 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि 12 एच हिश्यामकी घड़साना, श्रीगंगानगर/सेठ रामदयाल राठी राउमावि सूरतगढ़/राउमावि बीरधाना सूरतगढ़/सीबीईओ, सूरतगढ़/सीबीईओ कार्यालय विजयनगर अथवा समस्त कार्यालय श्रीगंगानगर की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया हैं। याचिकार्थी का प्रकरण इनमें से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.10.2019 में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का एक सकारण आख्यात्मक आदेश द्वारा निस्तारण किए जाने के आदेश प्राप्त थे। चूंकि श्री राकेश कुमार सोखल का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जा चुका है अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि वस्सी, वस्सी खास, डूंगरपुर में व्याख्याता के पद पर दिनांक 05.11.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–1/अभ्यावेदन/राकेश कुमार सोखल /को.के/19–20 दिनांकः– 01/11/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

11. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
12. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
13. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
14. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, डूंगरपुर को निर्देशित किया जाता है कि ये श्री राकेश कुमार सोखल के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिती में उनके विरुद्ध सीसीए–17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जाँच अनुभाग–प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
15. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
16. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
17. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
18. संबंधित प्राधानाचार्य राउमावि, श्रीकरणपुर, गंगानगर/राउमावि वस्सी, वस्सी खास, डूंगरपुर ।
19. कार्मिक राकेश कुमार सोखल, व्या0 रसायन विज्ञान राउमावि, श्रीकरणपुर, गंगानगर.।
20. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर